तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बुधराम बनाम लाधूराम आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर – 71/2020	

20.07.2021

पत्रावली आज पेश हुईं। उभय पक्ष उपस्थित । बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी के नाम से ग्राम शेखसर में खेत खसरा नम्बर 278 तादादी 20.02 बीघा खातेदारी भूमि स्थित हैं। जिस पर प्रार्थी पुराने समय स काश्त करता आ रहा हैं। प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिए कोई रास्ता स्वीकृत नहीं हैं। प्रार्थी अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 277 में से अपने खेत में आवागमन करता आ रहा है किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में नहीं होने के कारण अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 277 में से अपने खेत में जाने का रास्ता अप्रार्थी बन्द करने पर उतारू हैं। प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन के लिए सुविधाजनक एवं नजदीक का कोई रास्ता नहीं हैं। अतः खसरा नम्बर 277 के पश्चिम सींव लगभग 200 फुट एवं दक्षिण सींव लगभग 600 फुट दूरी तक रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे एवं प्रार्थी उक्त रास्ता की एवज में नियमानुसार राशि जमा करवाने के लिए तैयार हैं। अप्रार्थी वकील द्वारा जवाब प्रार्थना के तथ्यों को दौहराते हुवे उक्त रास्ते के सम्बन्ध में गलत पटवारी रिपोर्ट एवं स्वयं अधिकारी द्वारा मौका जांच नहीं करने पर पटवारी रिपोर्ट गलत बताया गया एवं कथन किया की निकट खसरा नम्बर 280 के काश्तकार पारादेवी पत्नी रामसिंह जाति राईका को सुचित नहीं किया गया । निकटतम रास्ता सिर्फ इस खसरा नम्बर 280 से करीब 200 फुट दूरी पर खसरा नम्बर 278 तक न्युनतम पर स्थित हैं। जबकि प्रस्तावित रास्ता 8 बीघा लम्बा चाहा गया जो करीब 7 गुणा अधिक लम्बाई हैं। रकबा चारों तरफ से तारबन्दी में है पश्चिम व उत्तर की तरफ चल रहे रास्ते के दक्षिणी सींव 8 बीघा में लम्बा रास्ता देने से अप्रार्थी को भारी क्षति होगी। निकटतम चल रहे रास्ते रास्ते के तथ्यों को छिपा कर गलत रिपोर्ट पेश की गई हैं।

राज पैरोकार द्वारा जवाब में कहा गया की स्वीकृत किये जाने वाला रास्ता के सम्बन्ध में सरकार को कोई आपति नहीं हैं। तहसीलदार लूनकरनसर रिपोर्ट प्राप्त पत्रावली शामिल हैं। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी खसरा नम्बर 277 के बीचे में से पूर्व की तरफ अपने खेत 278 में प्रवेश कर रहा था। जो खातेदार लाधूराम पुत्र पनाराम जाट साकिन शेखसर द्वारा काश्त कर बन्द कर दिया गया हैं। अतः प्रार्थी खसरा नम्बर 278 में जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 277 की दक्षिणी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की तरफ 80x2 = 160 गठा = 8 बिस्वा भूमि गै.मु. दर्ज होकर कम होगी जिसका नियमानुसार भुगतान लाधुराम पुत्र पनाराम को डीएलसी दर से अदा किया जाना हैं एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम एवं उचित की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

हमने बहस का मनन किया । पत्रावली शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया । पत्रावली में शामिल जमाबन्दी गांव शेखसर संवत् 2073–76 एवं नकल नक्शा एवं तहसीलदार लूनकरनसर रिपोर्ट का अवलोकन किया । अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पेश जवाब प्रार्थना पत्र एवं बहस का मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट में उक्त रास्ता निकटतम एवं उचित की रिपोर्ट की गई हैं जबकि अप्रार्थी जवाब प्रार्थना पत्र में अन्य मार्ग को निकटतम बताया गया था। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत में जाने हेतु अन्य मार्ग नहीं हैं एवं प्रार्थी खसरा नम्बर 278 में जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 277 की दक्षिणी सीमा पर पश्चिम से पूर्व 80x2 = 160 गठा = 8 बिस्वा भूमि गै.मु. रास्ता दर्ज करने पश्चात् तक जाने हेतु रास्ता प्राप्त होता हैं। प्रस्तुत बहस उभय पक्ष एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार उक्त रास्ता उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को फैसले की प्रमाणित प्रति भेज निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर उक्तानुसार स्वीकृत रास्ता नियमानुसार वर्तमान डीएलसी दर से दुगना गणना कर भुगतान होने पर रिकॉर्ड में अंकन कर मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो ।

यह आदेश आज दिनांक 20.07.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.08.10 14:03:51 IST
Reason: SelfAttested